



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10218

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 42251 वर्ष 2025

ताराचन्द

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अभिजीत यादव, प्रदीप कुमार मिश्रा, वरिष्ठ
अधिवक्ता, तंजील अहमद
विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री अंबलेश्वर पांडेय, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अरुण कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 531 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 61(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - बागपत, जिला - बागपत में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त करण को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 43486 वर्ष 2025 में दिनांक 10.12.2025 को पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि आवेदक का प्रकरण



उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास की व्याख्या शपथपत्र में की गई है। आवेदक दिनांक 7.9.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
6. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समता के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
7. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित रहना स्वयं में जमानत देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
9. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - **ताराचंद** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।



10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

सिद्धांत